न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामरख मीना आर.ए.एस

वाद सं. 366/15

निर्णय दिनांक 30/3/2017

ओम प्रकाश पुत्रश्री सहीराम जाति जाट साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादी

ब ना म

1. तीजो उर्फ तीजा पत्नि सहीराम
2. सोना देवी पुत्री सहीराम
3. भीमसैन
4. सुभाषचन्द्र

पि. सहीराम

जाति जाट साकिन नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित 1 श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एडवोकेट – वादीगण
2 श्री गुरमीत सिंह कलसी एडवोकेट.– प्रतिवादी स. 1 ता 4

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी एंव प्रतिवादीगण के सयुक्त परिवार की सयुक्त आराजी तथा उक्त सयुक्त परिवार की सयुक्त आय से खरीद शुदा आराजी चक 11एस.बी.एन. के खाता सं. 59/48 खाता राम कुमार वगैरा ज.सं. 2069 ता 2072 तथा चक 13 एस.बी.एन. के खाता नं. 113/104 खाता रामकुमार वगैरा ज.सं.2070 ता 2073 तथा चक 16 एम.के.एस. के खाता नं. 18/20 खाता ओम प्रकाश ज.सं. 2070 ता 2073 मे आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 2 मे दर्ज वादग्रस्त वादी एंव प्रति नं 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रति नं 1 वादी एंव प्रति नं 2 ता 4 की माता है प्रति नं 1 के नाम दर्ज उक्त आराजी उनके वारिसान वादी एंव प्रति नं 2 ता 4 की जद्दी जायदाद है जिसमे वादी एंव प्रति नं 2 ता 4 का उनकी माता प्रति नं 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.बरा का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त आराजी मे से प्रति नं 1 व 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी एंव प्रति नं 3 व 4 के पक्ष मे कर दिया है। उक्त आराजी मे प्रति नं 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। लेकिन वादी एंव प्रति नं 3 व 4 ने उक्त आराजी का बंटवारा कर लिया है जिसके मुताबिक चक 11 एस.बी.एन. के खाता नं. 59/48 तथा चक 13 एस.बी.एन. के खाता नं. 113/104 की आराजी वादी के हिस्सा मे आई है जबकि प्रति नं 3 व 4 ने अपना हिस्सा चक 16 एम.के.एस. के खाता नं. 18/20 मे प्राप्त कर लिया है। अतः दावा की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे से प्रति नं 1 के नाम दर्ज चक 11 एस.बी. एन. व 13 एस.बी.एन. की आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। जबकि चक 16एम. के.एस. मे वादी के नाम दर्ज आराजी के प्रति नं 3 व 4 ब.हि.बरा के खातेदार काश्तकार है वादी दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। कब्जा काश्त कोई कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया वे वादी को दावा की दफा 4 के मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम अमल दरामद करवा लेवे लेकिन पहले तो वे टाल मटोल करते रहे लेकिन अन्त मे पिछले सप्ताह वे वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। यही विनाय दावा है।

उक्त तथ्यो के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी स. 1 ता 4 ने जरिए वकील जबाबदावा पेश कर वादी के वाद से सहमति जताई । साक्ष्य वादी मे वकील वादी द्वारा वादी का शपथपत्र पेश किया गया व दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए वकील वादी और साक्ष्य पेश नही करना चाहते अतः शेष साक्ष्य वादी बन्द किए गए । साक्ष्य पेश होने पर बहस सुनी

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

गई । दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा मे [illegible] डिग्री करने हेतु निवेदन किया । बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन से [illegible] पाए जाने से वाद वादी डिग्री किया जाता है ।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादी डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि चक 11 एस.बी.एन. के खाता नं. 59/48 खाता राम कुमार वगैरा ज.सं.2069 ता 2072 तथा चक 13 एस.बी.एन. के खाता नं. 113/104 खाता राम कुमार वगैरा ज.सं.2070 ता 2073 मे प्रति नं 1 तीजो उर्फ तीजा पत्नि सहीराम के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी मे प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम अमल दरामद किया जाकर उक्त खातो मे से प्रति नं 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 16 एम.के.एस के खाता नं.18/20 खाता ओम प्रकाश ज.सं. 2070 ता 2073मे वादी के नाम समस्त आराजी के प्रति नं 3 व 4 ब.हि.बरा के खातेदार काश्तकार है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता मे से वादी का नामकलमजन किया जावे।

नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 30.5.2017को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

{ रामरख मीना }
सहायक कलैक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(24)

डिग्री एंव मुकदमे ईब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – रामरख मीना आर. ए. एस

ओम प्रकाश पुत्रश्री सहीराम जाति जाट साकिन नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

–वादी

ब ना म

1. तीजो उर्फ तीजा पत्नि सहीराम
2. सोना देवी पुत्री सहीराम
3. भीमसैन – पि. सहीराम
4. सुभाषचन्द्र – पि. सहीराम

जाति जाट साकिन नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

मु. स 366/15

दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड. वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 11 एस.बी.एन. के खाता नं. 59/48 खाता राम कुमार वगैरा ज.सं.2069 ता 2072 तथा चक 13 एस.बी.एन. के खाता नं. 113/104 खाता राम कुमार वगैरा ज.सं.2070 ता 2073 मे प्रति नं 1 तीजो उर्फ तीजा पत्नि सहीराम के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है उक्त आराजी मे प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम अमल दरामद किया जाकर उक्त खातो मे से प्रति नं 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 16 एम.के.एस के खाता नं.18/20 खाता ओम प्रकाश ज.सं. 2070 ता 2073मे वादी के नाम समस्त आराजी के प्रति नं 3 व 4 ब.हि.बरा के खातेदार काश्तकार है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर उक्त खाता मे से वादी का नामकलमजन किया जावे।

निज.......✓....... मुब्लिक.......✓....... बाबत.......✓.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....✓..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 30.03.2017 को जारी की गई।

{ रामरख मीना }

सहायक कलैक्टर

एवं उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official